



26<sup>12</sup>/<sub>17</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकालत रूप.  
अनुपस्थित / पीठ में अधिकारी  
को पर / अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आदेश द्वारा आईन्दा  
दिनांक 6-3-18 को पेश हो



6-3-18

पत्रावली पेश हुई। वकालत रूप.  
अनुपस्थित / पीठ में अधिकारी  
को पर / अन्य कार्य में व्यस्त।  
पत्रावली पूर्व आदेश द्वारा आईन्दा  
दिनांक 27-3-18 को पेश हो



27<sup>03</sup>/<sub>18</sub>

23<sup>05</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान  
न्याय आपके द्वार - 2018 के तहत कैंप स्थल अदालत  
को कोर्ट चोकर में पेश हुई। वकील वादी ने  
हजिर होकर दावा विज्ञा हेतु ज. फन पेश किया  
ज. फन में अंकित किया कि पदाकारान उल्लेख  
को जोर उठाने नहीं चलाना चाहते हैं  
तथा न्यायालय से उठाने कोई कार्यवाही नहीं  
चाहते हैं अतः ज. फन स्वीकार कर दावा  
विज्ञा की अनुमति उदान करें। वकील वादी  
का ज. फन स्वीकार किया जाकर दावा  
विज्ञा की अनुमति उदान की जाती है।  
उल्लेख में उठाने कोई कार्यवाही अपेक्षित  
नहीं है। कार्यवाही उल्लेख एसी स्तर पर

कोर्ट (अदालत)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

Drop किया जावे। पत्रावली फैसल सुधार हेतु  
नम्बर से जम है तथा क्या तन्मूल दाखिल  
रफ्तार है। निर्णय मजमें जाम सुनाया गया।

73/5/16

आगीरथ शाह  
(R.A.S.)

सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रैक) रायपुर